



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



24 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 563 राँची, शुक्रवार,

15 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

21 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-155/2017-22656(HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनुज कुमार प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-839/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के पद का प्रभार दिनांक 15.12.2016 को ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 16.12.2016 से 17.04.2017 की अवधि में रोकड़ बही का सत्यापन नहीं करने एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1955 के प्रचार-प्रसार, नियमावली के मुद्रण एवं प्रशासनिक तंत्र के सुदृढीकरण हेतु आवंटित 1,00,000/-रु० की राशि बिना कार्यादेश निर्गत किये और कार्य कराये एजेंसी से अभिश्रव प्राप्त कर 97,300/-रु० की निकासी करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-488/स्था०, दिनांक 29.08.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्ता, कोडरमा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अनुज कुमार प्रसाद, झा०प्र०से० एवं श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANUJ KUMAR PRASAD JHK/JAS/100	श्री अनुज कुमार प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-839/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा सम्प्रति प्रबंध निदेशक के सचिव, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद्, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
